1. In the court of Abhishek K. Das, Sessions Judge, East Champaran at Motihari,
A.B.P.No. 1554/2026, dt. 15.04.2026, Kalim Miya & one others vrs. State of Bihar.

न्यायालय,सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

<u>अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–1554/2026</u>

उपस्थित :– अभिषेक कुमार दास
सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

1. कलीम मियां वल्द स्व0 प्याजी दूबे उम्र करीब 36 वर्ष
2. एहसान आलम वल्द कलीम मियां उम्र करीब 20 वर्ष
ग्राम–घोड़ासहन, हसन नगर थाना–घोड़ासहन, जिला–पूर्वी चम्पारण..आवेदकगण ।

बनाम

बिहार सरकार .....विपक्षी ।

आवेदकगण की ओर से – श्री मो0 कासीम ,विद्वान अधिवक्ता ।
अभियोजन की ओर से – श्री खूबलाल प्रसाद, विद्वान लोक अभियोजक ।

आदेश

15.04.2026 यह अग्रिम जमानत आवेदक/अभियुक्तगण कलीम मियां एवं एहसान आलम की ओर से घोड़ासहन थाना कांड संख्या–107/2025, धारा– 126(2), 115(2), 118 (1), 109(1), 119(1), 303(2), 76, 79, 352, 351(2)/3(5) बी.एन.एस. में अपनी गिरफ्तारी की आशंका होने पर दाखिल किया गया है।

अभियोजन के अनुसार सूचक इरफान मियां को जमीन पैमाईस कराने के कम में साबिर मियां, कलीम मियां, एहसान आलम लाठी, डंडा, रड, फरसा लेकर आए और सबिर मियां उसके गला में गमछा लगाकर जमीन पर पटक कर लात–मुक्का से मारने लगे तथा कलीम मियां फरसा से गर्दन पर लात रखकर बोला कि आज इसे फरसा से काट कर गाड़ दो, इतना में एहसान आलम लोहा के रड से उसका सर फाड़ दिया, उसे बचाने उसकी पत्नी आई तो तीनो जमीन पर घसीट कर मारपीट किए तथा कलीम मियां उसकी पत्नी का ब्लाउज खींचकर फाड़ दिए तथा तीनो मिलकर उसकी पत्नी के कान से सोना का बाली छीन लिए।

अग्रिम जमानत आवेदन की कंडिका–2, में कहा गया है कि आवेदकगण के द्वारा पूर्व में अन्य कोई नियमित/अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है तथा कंडिका–3 में कहा गया है कि आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है।

आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन में कथन किया गया है कि आवेदकगण निर्दोष है, उन्हें जमीनी विवाद के

कारण इस मामले में झूठा आरोपित किया गया है। घटनास्थल पर इस प्रकार की कोई घटना घटित नहीं हुआ था। उभय पक्षों के बीच पलटा मुकदमा 108/2025 चल रहा है। धारा– 109(1), 303(2), 76 बी.एन.एस. को छोड़कर शेष धाराएं जमानतीय है। उक्त धाराएं इस मामले में नहीं बनता है। आवेदकगण को आशंका है कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। अतः अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने की प्रार्थना की गई है।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

उभय पक्षों को सुना। प्राथमिकी की सच्ची प्रमाणित प्रति एवं केस डायरी की अभिप्रमाणित प्रति का अवलोकन किया, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदकगण प्राथमिकी में नामित अभियुक्त है । कांड दैनिकी की कंडिका– 13 में सूचक जख्मी इरफान मियां का जख्म प्रतिवेदन अंकित है, जिसमें चिकित्सक की राय में जख्मी को कारित जख्म साधारण प्रकृति का पाया जाना अंकित है। कांड दैनिकी की कंडिका–37 के अनुसार आवेदकगण के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास होना अंकित नहीं है। उभय पक्षों के बीच एक ही दिन की घटना को लेकर घोड़ासहन थाना कांड संख्या– 108/2025 का पलटा मुकदमा चल रहा है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, प्राथमिकी में आवेदकगण के विरूद्ध आरोप की प्रकृति, जख्म की साधारण प्रकृति एवं आवेदकगण का पूर्व स्वच्छ आपराधिक वृति को ध्यान में रखते हुए आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को स्वीकृत किया जाता है तथा आवेदक/अभियुक्तगण कलीम मियां एवं एहसान आलम द्वारा आदेश प्राप्ति के एक माह के अन्दर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में मो0 10000/–रु. के बंध–पत्र एवं इतने ही राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद समाधान पर धारा– 438(2) बी.एन.एस.एस. के शर्तों के अधीन इस शर्त के साथ मुक्त किए जाने का आदेश दिया जाता है कि आवेदकगण अनुसंधान में सहयोग करेंगे।

लेखापित

ह0/–
सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी।
दिनांक 15.04.2026